न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/572
मिसलनम्बर–140 / 2022

मनोज शर्मा आत्मज श्री हरिशंकर जी जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 3–ब–28 विज्ञाननगर कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.अनिल योगी आत्मज श्री नन्दलाल जी जाति योगी निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा कोटा
2.अब्दुल गफ्फार आत्मज श्री सुभान खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा कोटा
3.चन्दूलाल कुमावत आत्मज श्री भंवरलाल जी जाति कुमावत निवासी ग्राम झालीपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
4.शकील अहमद आत्मज श्री मोहम्मद हनीफ जी जाति मुसलमान निवासी मकान नं0 77 अमन कॉलोनी विज्ञान नगर कोटा
5.धन्नालाल योगी आत्मज श्री ईश्वरलाल जी जाति योगी निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा कोटा
6.फखरूद्दीन अन्सारी आत्मज श्री अली मोहम्मद जी जाति मुसलमान निवासी 3–प–9 विज्ञाननगर कोटा
7.मोहम्मद इमरान आत्मज श्री अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा कोटा
8.ओमप्रकाश आत्मज श्री तुलसीराम जी जाति कलाल निवासी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
9.नन्द किशोर आत्मज श्री तुलसीराम जी जाति कलाल निवासी रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
10.हेमराज आत्मज श्री तुलसीराम जी जाति कलाल निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा तहसील लाडपुरा कोटा
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 6/12/24

उपस्थिति:–
1.श्री विजेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 10 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में ग्रम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 103 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 109 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 114 रकबा 0.11 है0 कुल 6 किता की 2.05 है. कृषि आराजीयात स्थित है। प्रार्थी का उपरोक्त आराजियात में 1/14 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ता 7 प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी नं0 8, 9, 10 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण नं0 1 ता 10 उपरोक्त आराजीयात पर शामलाती रूप से काबिज काश्त है। भूमि शामलाती खाते व कब्जे में होने से लगान की अदायगी एवं कब्जे काश्त को लेकर प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होता है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि का विभाजन करवा कर पृथक खाता एवं लगान कायत करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं0 1 ता 10 से उपरोक्त आराजियात का आपसी सहमति से विभाजन करवाने के लिये दिनांक 2.11.2022 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ता 10 इंकार हो गये तथा उन्होने प्रार्थी को शामलाती खाते की उपरोक्त आराजीयात में से विशिष्ठ खसरा नं0 की विशिष्ठ दिशा की भूमि अथवा विशिष्ठ खसरा नं0 की सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने की धमकी दी। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त अवैध कृत्य करने से नही रोका गया व भूमि को बिना विभाजन के रहन बेचान व अन्तरण कर दिया गया तो इससे प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी तथा प्रार्थी का दावा पेश करना बेकार हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे की प्रतिपक्षीगण बिना विभाजन कराये उपरोक्त ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 103 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 109 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 114 रकबा 0.11 है0 कुल 6 किता की 2.05 है. भूमि के विशिष्ट खसरा नं0 की विशिष्ट भूमि को अथवा विशिष्ट खसरा नं0 की सम्पूर्ण भूमि को रहन, बेचान, हिब्बा एवं अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधि से करावे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की उपरोक्त भूमि के विशिष्ट खसरा नं0 की विशिष्ट भूमि को अथवा विशिष्ट खसरा नं0 की सम्पूर्ण भूमि को रहन, बेचान, हिब्बा एवं अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही करने हेतु प्रतिपक्षीगण को पाबंद किया जावे।

बहस प्रार्थना–पत्र सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन अनुसार हम पाते है कि उभय पक्षकारान उपरोक्त वर्णित आराजी के सहखातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित आराजी के खातेदारों के मध्य भूमि का विभाजन नही हुआ है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये उसके किसी भी विशेष

उपखण्ड अधिकारी
को.

भाग को दान, रहन, बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। चूंकि उभयपक्षकरान उपरोक्त आराजी के सहखातेदारान है अतः प्रार्थी वाद वर्णित आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करवाने का अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है यदि दौराने वाद उक्त विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। दौराने वाद पक्षकारान के हक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जहां तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है, चूंकि प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। अतः अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त आराजी में निहित अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये उसके किसी भी विशेष भाग को दान, रहन, बेचान करते हुये खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को विवादित आराजी में अपने निहित अधिकारों से वंचित रहना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्रम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 103 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 109 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 114 रकबा 0.11 है0 कुल 6 किता की 2.05 है. भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 6/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा